उपस्थितिः— श्री बसंत कुमार,
अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद—प्रथम, समस्तीपुर.
अग्रिम जमानत आवेदन सं.0—1346 / 2026
ममता देवी बनाम बिहार राज्य
आदेश दिनांक—03.07.2026

अन्तर्गत न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद—प्रथम, समस्तीपुर

(विद्यापतिनगर थाना कांड संख्या—143 /2021 से उत्पन्न, अन्तर्गत धारा— 30(ए) बिहार मद्यनिषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम—2016.) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम—482 से संबंधित। **अग्रिम जमानत आवेदन सं0—1346/2026**

1. **ममता देवी,** पति—अर्जुन साह
निवासी ग्राम— खनुआ वार्ड नं.—10, थाना—विद्यापतिनगर, जिला— समस्तीपुर।

आवेदक की तरफ से ....श्री कुमोद कुमार विद्वान अधिवक्ता।

बनाम

बिहार सरकार..विपक्षी श्री देवेश कुमार विशेष लोक अभियोजक उत्पाद।

दिनांक	आदेश फलक	टिप्पणी
03.07.2026	1. उपरोक्त वर्णित अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त/आवेदिका ममता देवी, जो **विद्यापतिनगर थाना कांड संख्या—143 /2021 से उत्पन्न, अन्तर्गत धारा— 30(ए) बिहार मद्यनिषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम—2016** से संबंधित है, जिसकी एक प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को प्राप्त पहले से ही प्राप्त कराया गया है। 2. केस डायरी और आपराधिक इतिहास की मॉग की गई थी जो अभिलेख पर अप्राप्त है। 3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है ,कि सूचक अरविन्द कुमार सिंह पु.अ.नि. विद्यापतिनगर द्वारा यह अभियोग लाया गया है कि दिनांक 16.11. 2021 को दिवा गस्ती के क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खनुआ वार्ड नं.—10 के ममता देवी पति अर्जुन साह अपने लकड़ी के गुमटी में अवैध देशी शराब छुपा कर रखी हुई हैं एवं बिक्री करती है। सूचना के सत्यापन हेतु समय करीब 15:00 बजे घटनास्थल पर पहुंचे ममता देवी के घर व गुमटी की विधिवत तलाशी लिए इसी क्रम में इनके घर से सटे लकड़ी के गुमटी से 02 (दो) लीटर प्लास्टिक बोतल में आधा भरा कुल 01 (एक) लीटर देशी शराब बरामद हुआ जिसका विधिवत जप्ति सूची बनाकर जप्त किया। अभियुक्त के घर एवं आस—पास खोजबीन में ममता देवी नहीं मिली। 4. आवेदिका/ अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन किये कि आवेदिका /अभियुक्त निर्दोष है। आवेदिका/ अभियुक्त का किसी उपरी न्यायालय में अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आवेदन लम्बित नहीं है। आवेदिका/ अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। अतः आवेदिका को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाये।	

उपस्थितिः– श्री बसंत कुमार,
अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद–प्रथम, समस्तीपुर.
अग्रिम जमानत आवेदन सं.0–1346 / 2026
ममता देवी बनाम बिहार राज्य
आदेश दिनांक–03.07.2026

5.विद्वान विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किये और यह भी कथन किये कि बिहार राज्य में धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में धारा–76(2) के अधीन बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत यह आवेदन स्वीकृति योग्य नहीं है।

6. दोनों पक्षों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचक अरविन्द कुमार सिंह पु.अ.नि. विद्यापतिनगर द्वारा यह अभियोग लाया गया है कि दिनांक 16.11.2021 को दिवा गस्ती के क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खनुआ वार्ड नं.–10 के ममता देवी पति अर्जुन साह अपने लकड़ी के गुमटी में अवैध देशी शराब छुपा कर रखी हुई हैं एवं बिक्री करती है। सूचना के सत्यापन हेतु समय करीब 15:00 बजे घटनास्थल पर पहुंचे ममता देवी के घर व गुमटी की विधिवत तलाशी लिए इसी क्रम में इनके घर से सटे लकड़ी के गुमटी से 02 (दो) लीटर प्लास्टिक बोतल में आधा भरा कुल **01 (एक) लीटर** देशी शराब बरामद हुआ जिसका विधिवत जप्ति सूची बनाकर जप्त किया। जिसके उपरान्त स्वलिखित आवेदन थाना में दिए और **धारा– 30(ए) बिहार मद्यनिषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम–2016** में प्राथमिकी दर्ज की गई।

7.यह वाद अभी अनुसंधान के अधीन है तथा **धारा– 30(ए) बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम–2016** के अंतर्गत प्रथमदृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है और धारा–76(2) के अधीन बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत यह आवेदन स्वीकृति योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए मैं तथा अभियुक्त ममता देवी को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायसंगत नहीं समझता हूँ, अतः उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन **<u>खारिज</u>** किया जाता है।

लेखापित

विशेष
न्यायाधीश
उत्पाद प्रथम,
समस्तीपुर।
03.07.2026